

१२०८ २८०००८ पंजाब गुरु ग੍ਰਾंਥ सਾਹਿਬ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ
Gumla 06 Dec 50 P.M. 2008

2160



सिल 21 के अधिन एवं छठा
कार्राकारी अधिनियम १९७५ के
ही प्राप्त ५६००० रुपये
इडिया स्टाम्प एक्ट १८९९ के अनुसार
(या) के संलग्न १४४/१३-१४
अधिन यथावत स्टाम्प २३
लाइट (या) स्टाम्प शुल्क से निलंबित
हो स्थाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

05AA 277836

144/13-14
At 28.6.13

Receivable

AD 8400.00

निवधान पद:

२०९१३ वर्ष

१५५

Fee ०९६

8403.८८

२५४.५००/-

२००

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

१५०

मार्ग दर्शिका पंजी से किलात किया
सही पाया।

२०९१३

२०९१३

नाम मोफिर - मनोज कुमार पिता सुकरा उर्मांव जात उर्मांव पेशा
खेती साकिन पुगु खोपाटोली थाना गुमला जिला-
गुमला भारतीय नागरिक।

नाम मोफिर - ज्योति क्रेकेटर पति श्री अरविन्द सोरेंग जात उर्मांव
आवेदन पेशा खेती साकिन दीपनगर पुगु थाना गुमला जिला
गुमला भारतीय नागरिक।

किसीम वसिका - दस्तावेज बिक्री बैला कलामी हमेसे के लिये जिसका
तलानो मालगुजारी मो० ५० पैसा।

तायदाद रूपया - जरसमन मो० २.५४,५००/- दो लाख चौवन हजार
पाँच सौ रुपया न्यूनतम बाजार मुल्य -
२,८०,०००/- दो लाख अस्ती हजार रुपया।

द: १९.१०.२०१३ अमृत (अक्षर) गुमला ता। 20.09.2013

779 गोपीनाथ मुख्य
 6813 निवंधक का स्वाक्षर
 दस्तावेज़ द्वारा
 दस्तावेज़ द्वारा
 दस्तावेज़ द्वारा
 दस्तावेज़ द्वारा

$$\begin{aligned}
 10000 \times 1 &= 10000 \\
 100 \times 2 &= 200 \\
 \hline
 10200 &= 9
 \end{aligned}$$

मुख्य निवंधक
दस्तावेज़

दस्तावेज़



मनोज कुमार

20.09.2013



दिनांक 20.9.2013 का पूछा है जिसका अपराह्न
में जिला अवर निवंधक लार्गेटरी में लेखाकारी
(या लेखाधारी) का दाता हो जाए या सन
के लिए रहा।

उक्त के द्वारा

मनोज कुमार
लालकरा उद्दीप
पुष्टि लालकरा उद्दीप
उद्दीप

निवंधन पदाधिकारी

20.9.13





झारखण्ड JHARKHAND

2.

500925

जायदाद - माजी ०.०६ रु ७५ डीसमील जमीन तेतर घोरा हक्कित
रेयती अपना हक वो हिस्सा वो दखली अन्दर खाता नं०७०
घोके मौजा पुग याना गुमला थाना नं०६६ जिला गुमला
जिले मुतालके क्लाउटी वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला
वो सब डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी
झारखण्ड सरकार बजरीमे सर्किल ऑफिसर गुमला अंगल के वाके
है। तस्मील जमीन आवासीय भूमि है।

खाता नं०	ठाट नं०	नाम जमीन	दर्जा	रक्का
७०	७४५	तेतर घोरा	III	०.०६ रु

उत्तर , तात सौ पेतालीस
घोट्टी - उत्तर - सुकरा उर्माव , दक्षिण - रंजीत कुजूर ,
पुरब- महेन्द्र उर्माव पश्चिम - भेरेसा केरकेद्वा

कुल रक्का ७५ डीसमील !
मापी- पूरब तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई ११७ फीट
पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई ११७ फीट
उत्तर तरफ पूरब से पश्चिम की घौँड़ाई २७ फीट
दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की घौँड़ाई २७ फीट

विदित हो कि खाना नम्बर पाँच की जमीन मन मोकिर की रेयती वो
की अना हक वो हिस्सा की जमीन है जिस पर झोरीत पुर्वक दखलकार चले
गए हैं मन मोकिर मकान बनाने वो दिगर काम के लिये २,५४,५००/-
दो लाख घोवन हजार पाँच सौ रुपैया लिया वो अने तहद वो तस्लिक में
दर लाया ।

मनोज कुमार
20.09.2013

पृष्ठा - एजेंट बुटी खान - पुर्व

स्थिति घोटी खान - गुमला - २०/११/१३



झारखण्ड JHARKHAND

3

500926

बूँकि मन मोक्षिर वो मोक्षिर अलेह आ दिवासी समुदाय के अन्तर्गत एक ही थाना वो जिला के निवासी है इसलिये मन मोक्षिर ने जमीन बिक्री हेतु न्यायालय उप समाहिता भूमि सुधार ग्रुमला के कार्यालय में आवेदन दिया जिसका अनुमति घाद नं 144/2013-14 आदेश दिनांक 28.6.13 को हुआ। मन मोक्षिर स्पेया को जरसमन क्षार एवं अदल जरसमन के बदला

Haijin 522
20-09-2013

से उपर लिंग खाना नम्बर पाँच की जमीन को बेचा वो बिक्री बैला क्लामी
लिंगकर दखलकार कर दिया । अब तय बिक्री जमीन पर जिस प्रकार का
भूत्वा मित्त मन मोक्षिर का है या उनके उत्तराधिकारी का होता वह सब
आज के रोज से बहसियत खरीददार मोक्षिर अलेह मय उनके उत्तराधिकारी
का हुआ वो होगा । अब तय बिक्री जमीन पर मोक्षिर अलेह खुद दंखलकार
होकर वो रह कर मुनासिब इन्तजाम मकान बनावे वो जो इच्छा हो के
वो जिस प्रकार का आमदनी नगद है जिनसी हो पुत्र पुत्रा दिक स्थेवा दिग्दे
भी गत्सरूप किया करे वो झारखण्ड सरकार के सिरिस्ता क्षेत्र का धार्यालिय में
अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर खास रसीद लिया करे । इसमें मन
मोक्षिर वो उत्तराधिकारी मन मोक्षिर को कोई आपत्ति नहीं है इसलिये
ब खुशी वो खाहीश दंस्तावेज बिक्री लिख दिया की समय पर काम आवे ।

यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खत्तियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या और निकटी किया गया है यह भी घोषित किया जाता है कि प्रासंगिक भूमि मुदान, भुवनेश्वरी, लीज, मु-अर्जन तथा भुबनेश्वरी की नहीं है यह भूमि खनन स्थं वन सीमा से बाहर है यह भी घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद सरना तथा गुरुलारा का नहीं है

118/2

Sudhir Xalxo S/o Karlus 20-09-2013
Xalxo Vill-Deep Nagar Sisei
Road Gunda 20/09/13

तथा पुर्व से बिक्री नहीं किया गया है।

मैं लेखकारी झारखण्ड भूदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16^{वाँ} 2^{वाँ}
के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली
जमीन भूदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

मनोज कुल्लू

20.09.2013



15 कुल्लू
20.09.2013

मैं लेखकारी झारखण्ड भूदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16^{वाँ} 2^{वाँ}
के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीद की जाने वाली जमीन
भूदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।



Jyoti Kerketta
20/9/13



प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी संघ लेखधारी
के बाये हाथ के पर्शों कंगुलियों का निशान दस्तावेज में लिया
गया है जिनका फॉटो दस्तावेज में चिपकाया गया है।

M. Salu
Adv.
20.9.13

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में 5 पन्ना
में टैकित किया गया है।

मानिस सलू
20.09.2013

दंकक पियुस बिंज कोर्ट परिसर गुमला इफाट कर्ता
मानिस सलू Advocate Gurmala Court

ब्लॉक इफाट पर पदा बिक्री बैला कलामी टैकित किया।

M. Salu
Advocate
20.9.13

इफाट कर्ता का ई 0/-

दंकक
पियुस
20.9.2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

संस्कृत लकड़ी

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B) 050140

20/07/22
20.09.2022

भारतीय नगर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये



RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

झारखण्ड JHARKHAND

B 050141

प्रमाणित
20-09-2013



१९७३/१४८१

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहता, गुमला ।

अनुमति वाद सं- 144/2013-14

मनोज कुरूर आवेदक ।

बनाम

विषयी ।

आदेश



इस अनुमति वाद की कार्यवाही आवेदक मनोज कुरूर पिता सुकरा उरांव ग्राम पुगु छोपाटोली धाना गुमला जिला गुमला के आवेदन पर छोटानामेपुर कास्तकारी अधिकारीयम की धारा 46 के अंतर्गत प्रारंभ की गई । आवेदक द्वारा निम्नांकित भूमि को विषयी ज्योति केरकेटा पति श्री और विन्द सोरेंग ग्राम दीपनगर पुगु धाना गुमला जिला गुमला के साथ मो 2,54,500/- इदो लाख चौंवन हजार पाँच सौ॒ रुपये में बिक्री करने की अनुमति को मांग दरते हैं ।

मौजा	धाना/धाना नं०	छाता नं०	प्लॉट नं०.	नाम जमीन	दर्जा	रक्का
पुगु	गुमला/ 66	70	745	तेतर चौरा-III	0.06 रक्का	

चौहदी- उत्तर- सुकरा उरांव दक्षिण- रंजीत कुरूर, पूरब- मेहन्दू उरांव पश्चिम- तेरसा केरकेटा ।

जमा रक्का- ४: डिसमिल,

0.06 रक्का

आवेदक के आवेदन पत्र की एक प्रति शंखल अधिकारी, गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, एवं आम इश्तेहार निर्णय की गई । शंखल अधिकारी, गुमला का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-497/ दिनांक 18. 6. 13 द्वारा प्राप्त है । कहीं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है । जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक भूमि आवेदक की उत्तियानी जै उनके स्वामित्व एवं हिस्से की है जिसपर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है । उक्त भूमि की बिक्री के बाद 21. 74 रक्का जमीन रेता ब्यता है । आवेदक एवं ब्रेटा दोनों ग्रामियासो समुदाय के सदस्य हैं एवं एक हीथाना के निवासी हैं ।

आवेदक का व्यान उनके विल अधिवक्ता के खास पहचान पर



मेरा अभिलिखित किया गया है कि अपने व्यापक भूमि की बिक्री के द्वारा उन्होंने कहा है कि आवेदित दो मुमिन की बिक्री के द्वारा उन्होंने वो दिग्गज लाम हेतु कर रख दी है। उक्त दो मुमिन दोनों, मुर्सिन, मुस्लिम, गैरमज़ुआ आम वो छास तथा वनसीमा के अंतर्गत नहीं आता है।

उपर्युक्त तथ्यों सब अंधेरा अधिकारी; गुमला के अनुशंसा युक्त जाँच प्राप्तिप्रदान से स्पष्ट है कि आवेदित मुमिन की बिक्री भूमि ३० एकड़ी का है। यहाँ की धारा 46 का उल्लंघन तुर्ही होता है। अतः उपर वर्णित दोनों उपर वर्णित विक्री के साथ उपर उल्लिखित मूल्य अर्थवा निर्देशन कार्यालय के सार्वदर्शक में अंकित मूल्य जो अधिक हो पर बिक्री करने की विकल्पी की जाती है।

प्राप्त अनुमति वाद से अन्य विस्तार/अंशदार सब हकदार का द्वारा इस अधिकार प्रभावित होगा।

लोक पिता

26-6-13

मेरा अभिलिखित किया गया है कि अपने व्यापक भूमि की बिक्री के द्वारा उन्होंने कहा है कि आवेदित मुमिन सुधार उप समाहिता, गुमला।

मुमिन सुधार उप समाहिता,

गुमला।

ठिकारी

183

ठिकारी

ठिकारी

R.M.

ठिकारी

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

Date Record Keeper

19/7/11
Authorised under Section 75 Act 1 of
1872 District Record Room, GUMLA

1:- पुगू शीर्ष नं ०१

वाना :- गमला

ना नम्बर :- ६४

जिला :- रांची (हाल जिला गुमला)
स्केल १:५०,००० माइल वरावर १८०५०२
सन् १९३०-३१ इवी

संकेत :- रबरीदगी भूमि

को देस लक्ष्या

मेलाल रंग

से दर्शाया गया है जिसका

विवरण नीचे दिया गया है :-

रखातीना० लॉट नं० नामांगीन दर्जा रक्षा०

६० ६४

मिलान शीर्ष ३

०-६६५०

२६५०८

६६५१४ ६६५१५

२६५०९

पुल रक्षा का छायांगी

वीषी :- उत्तर :- पुकारा उत्तर दोलना - मकान का रुजीत कुड़ा
सुरभि - महेश्वर उत्तर पश्चिम - रबरीदगी त्रिरसा केरवहा।

दिनांक १८८५ फरवरी से परिवर्तन की गयी २६५०८

लेखकारी :- मनोज कुमार यिता कुमारा उत्तर दानि उत्तर पश्चा - खेती
सा० गोपा पुगू लोगाटोली वानी के जिला - गुमला।

लेखकारी :- ज्योति केरबहा नानि उत्तर द्वारी विन्द सोरेंग जाति - उत्तर
पश्चा - लोकारी सा० गोपा - पुगू दौध नगर सिसड रोड
वानी के जिला - गुमला।

लेखकारी का द

मनोज कुमार



लेखकारी का दृ०

Jyoti Kerbetta

२०/११/१३

ज्योति केरबहा
लेखकारी
२५/६/२०१३